इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में भाग लेने हेतु आमंत्रण

इंटरनेट गवर्नेंस के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए विविधि प्रकार के हितों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एक वृहत मंच है। कोई भी व्यक्ति इस फोरम में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। ब्राजील के जोआओ पेसाओ में इस वर्ष नवंबर 10-13, 2015 को इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) की बैठक होना तय हुआ है।

आईजीएफ का यह कार्यक्रम मल्टीस्टेकहोल्डर इंटरनेट कम्युनिटी द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो मुख्यतया इस बार वर्कशॉप सेशन्स पर आधारित होगा। उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आमंत्रण स्वीकार करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2015 निर्धारित की गयी है। (यहां इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त किये गये प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।)

कार्यशाला में शामिल होने के लिए फॉर्म का लिंक यहां है :

http://www.intgovforum.org/cms/workshop-proposals/igf-2015-workshop-proposal-submission-form-template

इस वर्ष मैग ने कार्यशाला में प्रस्ताव रखने से संबंधित प्रक्रिया में कुछ आवश्यक परिवर्तन किये हैं। नीचे लिखे 10 बिंदुओं में निम्नि परिवर्तन किये गये हैं, जिस पर आईजीएफ वर्कशॉप में प्रस्तावक को ध्यान देना होगा। कार्यशाला में शामिल होने वाले सभी प्रस्तावकों को आईजीएफ कार्यशाला सेशन प्रस्ताव में कार्य करने से पहले इन सारे प्रस्तावित परिवर्तनों के अलावा तीन अन्य उपयोगी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो इस प्रकार हैं – **2015 कार्यशाला प्रस्ताव संबंधी मुख्य बातें** (2015 Workshop Proposal Guidelines)**, सभा के प्रारूप की रूपरेखा** (Outline of Session Formats), एवं **मैग कार्यशाला की समीक्षा एवं उसकी आंकलन प्रक्रिया** (MAG Workshop Review and Evaluation Process)

कार्यशाला में प्रस्तावकों हेतु ध्यान देने योग्य 10 आवश्यक बातें-

1. **नये सेशन फॉरमेट का प्रयोग करें**- मैग इस बार ऐसे नये प्रस्तावों की ओर कार्य करेगी जिसमें विविधिता को ध्यान में रख प्रतियोगियों के वार्तालाप हेतु नये एवं अभिनव प्रारूपों का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रेक आउट ग्रुप डिस्किशन्स, वाद-विवाद, गोलमेज, अनौपचारिक वाद-विवाद दल (बर्ड ऑफ अ फेदर) एवं फ्लैश सेशन्स इस सेशन में विकल्प के रूप में शामिल रहेंगे। इस सेशन में आप स्वयं का भी कोई प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले से मौजूद पैनल प्रारूप के अलावा इस बार छह प्रारूप शामिल किये गये हैं, जिसके लिए इस संबंध में बैकग्राउंड पेपर की आवश्यकता होगी। (संख्या सात देखें)।

2. **अगर आप आईजीएफ में पहले कभी शामिल नहीं हुए हैं, तब भी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं-** इस बार मूल्यांकन करते समय उन प्रस्तावकों को वरीयता दी जाएगी जो पहली बार कार्यशाला में भाग लेंगे, इससे आईजीएफ विचार-विमर्श के समय नये प्रतिभागियों को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा।

3. **विकासशील देशों के साथ-साथ कम विकसित देशों से आये प्रस्तावकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा-** आपके क्षेत्र से आये हुए प्रस्तावकों को तरजीह दी जाएगी, जिससे आईजीएफ कार्यक्रम में वैभिन्निताओं को बढ़ावा मिल सके।

4. **इस संबंध में सभा के प्रारूप में यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह सेशन क्यों और किस प्रकार होना चाहिए-** यहां यह स्पष्टता आवश्यक है कि इस सेशन में किस संबंध में चर्चा की जाए और इसे किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए।

   i) **विषय से संबंधित-** आपके प्रस्ताव में इंटरनेट गवर्नेंस के मुद्दे पर एक संक्षिप्त चर्चा अवश्य होनी चाहिए जिसमें यह बताया जाये कि यह इस संबंध में किस प्रकार से बातचीत की जा सकती है।

   ii) **इसे किस प्रकार आगे ले जाया जाए-** इसके बाद सेशन फॉरमेट के तहत इस बात पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो कि किस प्रकार इस मुद्दे पर बातचीत होगी। उदाहरणार्थ- अगर 'भूलने के अधिकार' विषय पर चर्चा हो रही हो तो यह बताया जाये कि इस संबंध में किस पहलू पर, किन मुख्य बिंदुओं पर और विचार-विमर्श होगा तथा इस विषय के किस दृष्टकोण पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बहस के मुख्य मुद्दे के विषय के वक्ता, सभापति एवं दर्शकों वाले द्वारा लगाये जाने वाले समय के बारे में भी बताएं।

5. **स्वविवेक से अपने सेशन के लिए बोलने की समय-सीमा निर्धारित कर लें-** कार्यशाला की समयसीमा 30, 60 या 90 मिनट होगी। अधिवेशन में अपने लिए सही समय निर्धारित करें। जैसे- अगर आप किसी विषय पर तीस मिनट की एक छोटी-सी प्रस्तुति देना चाहते हैं तो फ्लैश सेशन आपके लिए एक अच्छा समय एवं प्रारूप होगा। पैनल सेशन में लंबे समय की जरूरत होती है। यह बात अवश्य याद रखें कि अलग-अलग प्रारूपों के लिए अलग-अलग समय की जरूरत होती है। इन प्रारूपों को यहां देखें।

6. **रिमोट सहभागिता पर विचार करें**- आईजीएफ एक वैश्विक विचार-विमर्श कार्यक्रम है, और जो लोग इस मौके पर उस स्थान पर वहां मौजूद नहीं है, वह भी वहां शिरकित कर सकते हैं। मैग ने इस वर्ष रिमोट पार्टसिपिशन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है, जिसके तहत प्रस्तावक के उस प्लान पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जिसमें रिमोट प्रतिभागियों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए, जिसमें स्वयं आपने अपने प्रस्ताव में भी एक रिमोट मॉडरेटर नियुक्त किया हो। आप स्वयं भी इस

रूपरेखा को बना सकते हैं कि अपने मोहल्ले, क्षेत्र इत्यादि में इंटरनेट समुदाय के सदस्यों के लिए या उनके साथ मिलकर एक रिमोट सहभागिता हब तैयार कर सकें।

7. **पैनल सेशन के लिए. बेकग्राउंड पेपर की आवश्यकता होगी, अन्य के लिए नहीं-** इस वर्ष मैग ने पैनल फॉरमेट में प्रस्तावों की आवश्यकता जताई है। पैनल सेशन प्रस्तावों में बेकग्राउंड पेपर अवश्य ही शामिल करना चाहिए। इस पेपर के लिए आवश्यक नियमों के लिए यहां देखें।

8. **रिपोर्ट बनाने के लिए किसी को नियुक्त करें –** इस वर्ष सारे वर्कशॉप सेशन के लिए एक रिपोर्ट बनाने वाले की आवश्यकता होगी, जो इस सेशन का संक्षिप्त विवरण बना सके। आईजीएफ कार्यक्रम की समाप्ति के दो सप्ताह के भीतर ही आईजीएफ सचिवालय में यह रिपोर्ट जमा करनी होगी। अगर इस बीच रिपोर्ट जमा नहीं की जाएगी तो अगले आईजीएफ कार्यक्रम में आईजीएफ प्रपोजर को किसी प्रकार का प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं मिलेगी।

9. **प्रस्ताव में प्रतिभागियों/ वक्ताओं की उपस्थिति की पुष्टि आवश्यक नहीं-** मैग इस बात को बखूबी समझता है कि आईजीएफ के प्रपोजल स्टेट में कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उनकी उपस्थिति की पुष्टि करा पाना बड़ा मुश्किल काम है, अत: उपस्थिति की पुष्टि कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दौरान ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यशाला के किस भाग के अंतर्गत प्रतिभागी/या वक्ता, कार्यक्रम में शिरकित करना चाहते हैं, यह अवश्य बताएं -(जैसे कोई एक प्रतिभागी वक्ता किसी मुद्दे पर अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रस्तुत करेगा, वहीं दूसरा इस मुद्दे पर अपने आर्थिक विचार रखेगा।)

10. **जरूरत पड़ने पर संपर्क करें।** अगर आपको प्रपोजल जमा करने के संबंध में कोई प्रश्न पूछना है तो आईजीएफ सचिवालय से यहां संपर्क करें । < igf[at unog.ch >

अंत में, यह बात याद रखें कि आईजीएफ में शामिल होने के लिए किसी प्रकार के वर्कशॉप में शामिल होने की अथवा आयोजित करनी की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राजील में होने वाली इस बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। इस संबंध में अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें। http://www.intgovforum.org/cms/ .